राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ 2 (ग) (एसीपी)/1992–II/अलेसे–I/8101-02 दिनांकः– 17-02-2014

कार्यालय आदेश संख्या 375/2013–14

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7) एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–14(88)एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में श्री सोहन लाल गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी जिनकी जन्मतिथि 01.06.1963 है तथा जिन्होंने लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर दिनांक 01.02.1995 को कार्यग्रहण किया था। इन्होंने 18 वर्ष की राजकीय सेवा निरन्तर एवं सन्तोषजनक पूर्ण कर ली है, को दिनांक 01.02.2013 से लेखाकार के पद का द्वितीय ए.सी.पी. पी.बी.–2, 9300–34800 पे–बैण्ड एवं रूपये 4800/– ग्रेड पे मे स्वीकृत किया जाता है एवं वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के पत्रांक प.14 (88) वित्त (नियम) 2008 जयपुर, दिनांक 05.07.2013 के अनुसरण मे दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड–पे 5400 स्वीकृत किया जाता है।

श्री सोहन लाल गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तो के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

श्री सोहन लाल गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी के वांछित वार्षिक कार्य–मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 27.07.12 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर गत 9 वर्षों में से 7 वर्षों की एपीएआर व संतोषजनक सेवा एव प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे मे निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

श्री सोहन लाल गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ–14(88) एफडी नियम) 2008–I दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में ग्रेड पे 4200/– प्राप्त कर रहे है।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ 2 (ग) (एसीपी)/1992–II/अलेसे–I/ **दिनांकः–**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष– संयुक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय।
2. श्री सोहन लाल गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय– निदेशक कोष एवं लेखा राज. जयपुर।
3. निजी सहायक निदेशक महोदया।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।

(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– I)